न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 60 / 2008

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नाथी स्त्री मंगलचन्द।
2 बनवारी उर्फ बन्नाराम दत्तक पुत्र सुरजाराम।
3 झाबरमल पुत्र रूड़ाराम।
4 फूलचन्द पुत्र रूड़ाराम।
5 अजीत पुत्र रूड़ाराम।
6 छोटू पुत्र लिछमण (मृत)।
6/1 घीसी देवी बेवाह छोटू।
6/2 गोदाराम पुत्र छोटू।
6/3 शंकर पुत्र छोटू।
6/4 महेन्द्र पुत्र छोटू।
6/5 तीजू पुत्री छोटू।
6/6 गीता पुत्री छोटू।
6/7 पार्वती पुत्री छोटू समस्त जाति जाट निवासीगण करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गुलाबी देवी स्त्री रामेश्वर।
2 बाबूलाल पुत्र रामेश्वर।
3 लालचन्द पुत्र रामेश्वर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी

Web Copy - Not Official

4 रामसिंह पुत्र रामेश्वर।
5 मनोहरी पुत्री रामेश्वर।
6 सरोज पुत्री रामेश्वर।
7 पुरा देवी पुत्री रामेश्वर।
8 मालाराम पुत्र अर्जुन।
9 प्रभात पुत्र नानू (मृत)।
9/1 शिवपाल पुत्र प्रभात।
9/2 धुड़ाराम पुत्र प्रभात।
9/3 बलदेव पुत्र प्रभात।
9/4 मुरलीधर पुत्र प्रभात।
9/5 पतासी पुत्री प्रभात।
9/6 कोयली पुत्री प्रभात।
9/7 दड़कली पुत्री प्रभात।
9/8 कमली पुत्री प्रभात।
10 केशर स्त्री बोदूराम (मृत)।
10/1 गोपाल पुत्र केशरी स्त्री बोदू।
10/2 फूली स्त्री केशरी स्त्री बोदू।
11 गोपाल पुत्र बोदुराम।
12 नागरमल पुत्र नारायण।
13 बहादुर (भादरसिंह पुत्र नारायण)।
14 प्रधान पुत्र नारायण।
15 पांची बेवाह नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
16 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
17 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.07
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले
मुकदमा उनवानी रामेश्वर आदि बनाम प्रभात आदि
मु.नं. 165/05 दावा बाबत तकास्म घोषणा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा अपील अं0 धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थित

1. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुखदेव सिंह महला अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–20.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा वाद संख्या 165/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 के पति व पिता रामेश्वर व रेस्पोडेंट संख्या 8 मालाराम व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 15 ने एक साजसी व षड़यत्र रचकर अपीलांट व मोठू को दावे में पक्षकार बनाये बिना ग्राम चीपलाटा की भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 609,670,672,673,674,675,676 रकबा 12.57 हैक्टेयर में 1/6 हिस्से की है में से 1/4 हिस्से पर दावे के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कैशर व गोपाल तथा 3/4 हिस्सा पर वादीगण रामेश्वर, माला बाहमी तकास्मे के अनुसार काबिज काश्त चले आए है तथा 1/6 हिस्सा की पैतृत भूमि की खातेदारी में दर्ज नन्दा पुत्र नानू का नाम हजफ किया जावे, भूमि खसरा नम्बर 559/887 रकबा 2.70 हैक्टेयर वाके ग्राम करकड़ा तहसील श्रीमाधोपुर में 3/4 हिस्से की पैतृक भूमि पर बाहमी बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 प्रभात अकेला ही काबिज काश्त चला आया है। अन्य पक्षकारान का कब्जा काश्त नही है व अन्य काश्तकारान का नाम हजफ कर दिया जावे व भूमि खसरा नम्बर 131,144,145,148,149 रकबा 4.84 हैक्टेयर अलम शहर कुंआ लोकाली वाके ग्राम रूपपुरा हिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर की 1/4 हिस्सा की भूमि पैतृक है पर बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 का ही कब्जा, काश्त नारायण के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। अन्य का नाम हटाया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का ही नाम अंकित किया जावे इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 794,795,799 रकबा 7.71 हैक्टेयर वाके ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में प्रभात नारायण बोदू पिता नानू तीनों की बजाय नारायण 1/2 हिस्सा पर एवं बोदू 1/4 हिस्सा पर दर 1/4 हिस्सा पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज चले आये है, इसलिए इस भूमि में प्रभात का नाम हजफ किया जावे तथा नारायण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2व 3 के हक में 1/4 हिस्से दर हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया जावे उक्त दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण अधि0 न्यायालय में हाजिर आये व साजिसी राजीनामा अधि0 न्यायालय में प्रस्तुत किया बाद सुनवाई योग्य अधि0 न्यायालय के विरूद्व कानून अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.07 के रेस्पोडेंट का दावा डिक्री कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
रतनगढ़

अपीलांट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी व प्रतिवादीगण विवादित भूमि में 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है। 3/4 हिस्से के सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया अनुतोष में बाई मिटस एण्ड बाउन्डस में विभाजन चाहा गया है। 1/4 वालों ने ही राजीनामा कर डिक्री जारी करवा ली। समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाना चाहिए था चार गांवों की भूमि है दो भूमिधारक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है मुझे सुने बिना मेरे विरूद्व डिक्री हो गई। धारा 96 व धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट सजरा खानदान के पांचवी पीढ़ी में है बाहमी बंटवारे अनुसार अलग–अलग काश्त कर रहे है। विचाराधीन निर्णय से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हिस्से को हजब किया है। प्रथक से कोई नम्बर नही दिया है अपीलांट का जितना हिस्सा रिकार्ड में दर्ज था उससे कोई छेड़छाड़ नही की गई है। अपीलांट विचारण न्यायालय के निर्णय से किसी भी तरह प्रभावित नही है वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्सों को दुरूस्त करवाया है यह पारिवारिक समझौते के अनुसार हुआ है अपीलांट प्रभावित नही है अपील सारहीन है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एंव प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौते के अनुसार विवादित भूमि में नाम हजफ करने/नाम दर्ज करने का

Sd/-
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व ...

अनुतोष जरिये वाद चाहा एवं राजीनामा प्रस्तुत किया इसी के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामें के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हजफ करने/नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन नही किया है विवादित भूमि में अपीलांट के नाम दर्ज हिस्से से कोई छेड़छाड़ नही की है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट किस प्रकार प्रभावित है यह साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद, राजीनामा एवं इनके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इससे अपीलांट के हक हकूक प्रभावित नही होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर